2016 का विधेयक संख्यांक 221

[दि कांस्टिट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 है। संक्षिप्त नाम।

2. संविधान के अनुच्छेद 312 में,— अनुच्छेद 312 का संशोधन।

(i) खण्ड (1) में ''जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है'' शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ii) खण्ड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(1क) भाग 6 के अध्याय 6 या भाग 11 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रभावी होने के एक वर्ष के भीतर संसद विधि द्वारा, संघ और राज्यों के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सृजित करने का उपबंध कर सकेगी और इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए जो आवश्यक परिवर्तनों सहित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पर लागू होंगे, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान में अनुच्छेद 312 के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबन्ध है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय वन सेवा का सृजन विधि द्वारा समय-समय पर किया गया है, किन्तु अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन किया जाना शेष है। 1976 में, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन करने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन किए गए थे किन्तु इसका सृजन अभी तक नहीं किया गया है।

अब, सिविल समाज और नागरिकों द्वारा यह महसूस किया जा रहा है कि न्यायिक सेवा में समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अत: इस विधेयक का आशय इस दृष्टि से संविधान का संशोधन करना है ताकि संसद, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर, विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का उपबंध कर सके।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
8 जुलाई, 2016
17 आषाढ़, 1938 (शक)

उदित राज

उपाबंध

भारत के संविधान में से उद्धरण

* * * * *

अखिल भारतीय सेवाएं।

312. (1) भाग 6 के अध्याय 6 या भाग 11 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद, विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के (जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है) सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी और इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी।

* * * * *

लोक सभा

———————

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

———————

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—2854LS(S3)—28-10-2016.